न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 01/2015

बउनवान

1. रामस्वरूप आयु 35 साल
2. तोलाराम आयु 32 साल
3. नवलकिशोर आयु 25 साल पुत्रगण श्री भजनलाल जाति मीणा निवासीगण टारड़ा तहसील अन्ता जिला बारां (राज0)
4. कौशल्या बाई आयु 27 साल पुत्री श्री भजनलाल पत्नि श्री घनश्याम जाति मीणा निवासी टारडा तह0 अन्ता हाल निवासी गणेश स्कूल के पास तेलफेक्ट्री बारां तहसील व जिला बारां

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. बलराम पुत्र श्री रामप्रताप
2. देवभरत पुत्र श्री रामप्रताप
3. बादामबाई पुत्री श्री रामप्रताप
4. रोशनबाई पुत्री श्री रामप्रताप
5. पुष्पाबाई बेवा श्री रामप्रताप
6. सत्यनारायण पुत्र श्री पृथ्वीलाल
7. हरनारायण पुत्र श्री पृथ्वीलाल
8. द्रोपती बाई पुत्री श्री पृथ्वीलाल
9. संतोषबाई पुत्री श्री पृथ्वीलाल
10. धन्नीबाई बेवा श्री पृथ्वीलाल
11. रामहेत पुत्र श्री धनपाल
12. चन्द्रसेन पुत्र श्री धनपाल
13. सुमित्रा पुत्री श्री धनपाल जाति मीणा, निवासीगण टारडा तह0 अंता जिला बारां (राज.)
14. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता जिला बारां (राज0)

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा, 14 (4) कृषि भू आवंटन नियम, 1970

उपस्थिति :– 1. श्री अरविन्द सिंह हाड़ा, अभिभाषक (प्रार्थीया)
2. श्री राजेन्द्र कुमार सुमन, अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 15.03.2024

प्रार्थीया की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वाके ग्राम टारडा मे वर्तमान सेटलमेंट से पूर्व के खसरा नम्बर 247 की रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा आराजी स्थित है। जो दिनांक 02.12.1976 को प्रार्थीगण के पिता पृथ्वीलाल की माता मन्नीबाई पत्नि श्री बिशनलाल जाति मीणा निवासी टारडा तह0 अंता को आवंटन हुई थी। आवंटी मन्नीबाई,

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.03.26 16:48:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

[illegible] बिशनलाल व पृथ्वीलाल का स्वर्गवास हो चुका है। जिनके वारिसान अप्रार्थी क्रम 1 ता 13 है। उक्त आराजियात के नये खसरा नंबर 863 रकबा 0.66 है. जो कि अप्रार्थी क्रम 1 ता 13 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त आराजीयात मे से 4 बिस्वा रकबे पर प्रार्थीगण के पिता भजनलाल जी तथा उनके पूर्व उनके पिता किशनलाल जी अर्सा 60 वर्ष से आवंटन से पूर्व से ही काबिज काश्त रहे हैं तथा वर्तमान में प्रार्थीगण काबिज काश्त हैं। उक्त आराजीयात प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 864 रकबा 0.20 है., 861 रकबा 0.50 है. से लगवां भू पट्टी के रूप में है। जिस पर प्रार्थीगण ही काबिज काश्त हैं। उक्त आराजीयात स्ट्रिप ऑफ लेण्ड की श्रेणी में आती है। आवंटन से पूर्व से ही प्रार्थीगण के पिता व दादाजी का उक्त 4 बिस्वा भूमि पर कब्जा चला आ रहा था जिनको आवंटन की पालना से पूर्व कभी भी बेदखल नही किया गया है। इस कारण उक्त आवंटन स्वतः ही निरस्त होने योग्य है। प्रार्थीगण के खातेदारी की उपरोक्त वर्णित आराजियात के पास तालाब की पाल बनी हुयी है तथा उसके बाद तालाब है, इस प्रकार प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात के अलावा वहां पर कोई कृषि योग्य भूमि नही है। तालाब की भूमि का आवंटन माननीय सर्वोच्च न्यायालय व भारत सरकार के द्वारा पारित प्रतिपादित सिद्धान्तो के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश सभी राज्य सरकार को दिया हुआ है कि नदी, नाले व तालाब की भूमि का आवंटन नही किया जावें। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन दिनांक 02.12.1976 निरस्त फरमाकर अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड आराजी खसरा नंबर 863 रकबा 0.66 है वाके ग्राम टारडा से हटाया जाने का आदेश फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थीगण जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। अभिभाषक अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय से रेकार्ड तलब किये जाने पर रेकार्ड उपलब्ध नही होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम टारडा खसरा नंबर 863 रकबा 0.66 है. अप्रार्थीगण के पिता/पति रामप्रताप, धनपाल व पृथ्वीलाल की माता मन्नीबाई पत्नि श्री बिशनलाल जाति मीणा निवासी टारडा तह0 अन्ता को आवंटन दिनांक 02.12.1976 को आवंटित हुई थी। उक्त आराजियात तालाब की पाल है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार नदी, नाले व तालाब की भूमि का आवंटन नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाकर अप्रार्थीगण के पिता/पति रामप्रताप, धनपाल व पृथ्वीलाल की माता मन्नीबाई को दिनांक 02.12.1976 को आवंटित आराजी जिसके हाल खसरा नंबर 863 रकबा 0.66 है. हैं, को निरस्त फरमावें।

दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थीगण ने कथन किया कि ग्राम टारडा खसरा नंबर 863 रकबा 0.66 है. रामप्रताप, धनपाल व पृथ्वीलाल की माता मन्नीबाई पत्नि श्री बिशनलाल जाति मीणा निवासी टारडा तह0 अन्ता को दिनांक 02.12.1976 को नियमानुसार आवंटन किया जाकर दखल दिया गया है। आवंटन पश्चात् से ही [illegible] तथा अप्रार्थीगण के पिता/पति रामप्रताप, धनपाल व पृथ्वीलाल काबिज रहे हैं। [illegible] में अप्रार्थीगण काबिज काश्त हैं। अप्रार्थीगण को आराजी खसरा नंबर 863 रकबा 0.66 है. [illegible] टारडा तहसील अन्ता पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं तथा खाते[illegible] पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू आवंटन नियम 1970 पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र [illegible]रिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.03.26 16:48:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज०)

प्रकरण के संदर्भ में तहसीलदार अन्ता से रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसकी प्रति प्रकरण संख्या 4/2015 बउनवान धनकंवर बाई बनाम बलराम वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के साथ संलग्न है, के अनुसार ग्राम टारडा की आराजी खसरा नंबर 863 रकबा 0.22, खसरा नंबर 1320/863 रकबा 0.22 है. 1321/863 रकबा 0.22 है. भूमि पर देवभरत पुत्र रामप्रताप जाति मीणा निवासी टारडा द्वारा गेहूं की फसल बाई हुई है।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा तहसीलदार अन्ता से प्राप्त रिपोर्ट एवं सम्पूर्ण पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक द्वारा विवादित आराजी तालाब की भूमि होने के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है। तथा मुताबिक राजस्व रेकार्ड आराजी ग्राम टारडा साबिक खसरा नंबर 247 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, हाल खसरा नंबर 863 रकबा 0.66 है. का आवंटन मन्नीबाई पत्नि श्री बिशनलाल जाति मीणा निवासी टारडा तह0 अन्ता को दिनांक 02.12.1976 को आवंटन किया गया। जिसका गैरखातेदारी का नामांतकरण दिनांक 24.09.1977 को स्वीकृत हुआ। मुताबिक जमांबदी संवत् 2070–73 ग्राम टारडा उक्त भूमि बलराम, देवभरत पुत्रान, बदाम रोशन पुत्रियां रामप्रताप, पुष्पाबाई बेवा रामप्रताप हिस्सा 1/4, पृथ्वीलाल, धनपाल पुत्रान, जडावबाई पुत्री बिशनलाल हिस्सा 3/4 जातिगण मीणा निवासीगण टारडा के खाते दर्ज रही तथा नामांतकरण संख्या 825 दिनांक 05.06.2014 से मृतक धनपाल के स्थान पर रामहेत, चन्द्रसेन पुत्रान सुमित्रा पुत्री धनपाल व मृतक पृथ्वीलाल के स्थान पर सत्यनारायण, हरनारायण पुत्रान द्रोपती, सन्तोष पुत्रियां धन्नीबाई बेवा पृथ्वीलाल का नाम दर्ज हुआ है। इस प्रकार उक्त आराजीयात वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है। ऐसी स्थिति में खातेदारान के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम 14(4) के तहत पोषणीय नहीं होना पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम 14(4) के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2024 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.03.26 16:48:16 IST
Reason: SelfAttested